मुख्य मन्त्री सैनिक कल्याण कोष, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1–4–13 से 31–3–14

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "A"** पर दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान लेखा परीक्षाः–

मुख्य मन्त्री सैनिक कल्याण कोष के अवधि 1–4–13 से 31–3–14 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनाँक 11–2–15 से 13–2–15 के दौरान हिमाचल सचिवालय में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 10/13 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए 7/13 का चयन किया गया।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की गलत सूचना उपलब्ध करवाने अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई त्रुटियों के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नही होगा।

3 लेखा परीक्षा शुल्कः–

मुख्य मन्त्री सैनिक कल्याण कोष के अवधि 01–4–13 से 31–3–14 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹3,000 बनता है। राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को शीघ्र भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा पत्र सं0 2/2015 दिनाँक 13–2–15 द्वारा आग्रह किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) संस्था द्वारा प्रस्तुत मुख्य मन्त्री सैनिक कल्याण कोष के अवधि 1–4–13 से 31–3–14 तक के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क"** पर भी दिया गया है।

O.B	**Income Interest**		**Total**	**Exp.**	C.B
4,36,85,276-64	SB A/C	54017	5,0880,680.64	42,58,400	4,66,22,280.64
	FDR	71,41,387			
	Total	71,95,404			

अन्तिम शेष का विवरण

In saving Book A/c No-4060104004 of HPSC Bank Chota Shimla	1015515.64
FDR’S	4,56,06,765-00
Total	**4,66,22,280=64**

(ख) अंकेक्षण द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा **4 (ख)** में आपत्ति दर्ज़ की गई थी कि संस्था द्वारा पूर्व में दिनाँक 6—01—07 को ₹92,730:25 रोकड़ बही में आय के रूप में जमा दर्शाकर रोकड़ बही के शेष का बैक के साथ मिलान किया गया, परन्तु यह राशि बैंक में किस स्त्रोतों से प्राप्त हुई और रोकड़ बही में किस आधार पर ली गई थी, उसका विवरण नही दिया गया था। अतः विभाग को पुनः से सुझाव दिया जाता है कि संस्था द्वारा पूर्व से ही नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए व उक्त राशि का तदानुसार मिलान/समायोजन करना सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जायें।

5 सावधि जमाः—

संस्था द्वारा दिनाँक 31—3—14 तक सावधि खाते में ₹4,56,06,765/— निवेशित की गई थी, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट “ख”** पर दिया गया है।

6 मुख्यमन्त्री सैनिक कल्याण कोष में किए गए व्यय को समिति से अनुमोदित न करवाये जाने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा दिनाँक 22—2—14 को हुई समिति की बैठक में दिनाँक 31—1—14 तक मुख्य मन्त्री सैनिक कल्याण निधि से किए गए व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति ले ली गई। अतः 1—2—14 के पश्चात उक्त कोष से किये गये व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति भी अधिसूचना स0जी0ए0डी0 (के)(सी) 8—1/99 दिनाँक 18—9—2003 के पैरा सं0 **5(a)** में वर्णित शक्तियों के अनुसार समिति से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जायें।

7 कोष से किए गए भुगतान से सम्बन्धित रसीदें प्राप्त न करनाः—

मुख्यमन्त्री सैंनिक कल्याण कोष से शहीद सैनिको के आश्रितों को ज़िला उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से भुगतान किया जाता है। भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि भुगतान की गई राशियों से सम्बन्धित रसीदे प्राप्त नही की गई अथवा विलम्ब से प्राप्त की गई थी। अकेक्षण के लिए चयनित मास 7/13 में भी ₹9,50,000 का भुगतान ज़िला उपायुक्तों के माध्यम से किया गया था, परन्तु उक्त किये गये भुगतान में कुछ एक भुगतानों की रसीदें प्राप्तकर्ता से प्राप्त नही की गई थी। अतः कोष से भुगतान की गई राशियों के सम्बन्ध में रसीदे प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जायें। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013—14 के दौरान उक्त निधि से किये गये अन्य भुगतानों की संस्था स्तर पर जाँच की जाए तथा जिन प्राप्तकर्ता से

रसीदे प्राप्त नही हुई है उनके रसीदो को अविलम्ब प्राप्त करके अभिलेखों मे संलग्न किया जाना सुनिश्चित किया जायें। माह 7/13 के दौरान किये भुगतानों में जिन की रसीदें प्राप्त नही हुई उनका व्यौरा निम्न प्रकार से है।

दिनाँक	**Name and address of soldier (whom-on gradia grout was givan)**	**Deaf Ale**	**Date**	**Amount**
19-7-13	Late Rfn Ashwani kumar R/O VPO-Thabola, The-Jhandutta, Distt Bilaspur (H.P)	402219	19-7-13	3,00,000
3-7-13	Late Rfn Ajit singh R/O Village Maleda P.O Jawali Distt Kangra H.P	402190	3-7-13	3,00,000
			योग=	**₹6,00,000**

9 **लधु आपत्ति विवरणिकाः—** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नही की गई है। लघु अपतियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान स्थल पर ही कर दिया गया।

10 **निष्कर्षः—** लेखों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)201/99—1891—1892 दिनांक 13.04.15 शिमला—09.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत

1 उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग हि0प्र0 सरकार शिमला—2 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजने सुनिश्चित करें।

2 श्री अनिल शर्मा अनुभाग अधिकारी द्वारा..........

हस्ता/—

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

संशोधित

मुख्यमन्त्री सैनिक कल्याण कोष, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं के गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन दर की वर्तमान स्थिति अवधि 1–4–2013 से 31–3–2014

परिशिष्ट-A

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/99 से 3/2000

क0सं0	पैरा सं0	पैरा की स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा–4	अनिर्णीत	
2	पैरा–5	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2008

1	पैरा–6	अनिर्णीत	
2	पैरा–8	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2011

1	पैरा–7	अनिर्णीत	

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा–6	निर्णीत	(दिनाँक 22–2–14 को माननीय मुख्यमन्त्री जी की अध्यक्षता में हुई समिति की बैंठक की मद सं0–1 में दिनाँक 5–7–05 से 31–1–14 के दौरान सैनिक कल्याण निधि से किये भुगतानों की कार्योत्तर स्वीकृति दे दी गई, जिससे अवलोकन उपरान्त पैरा निर्णीत किया)
2	पैरा–7	अनिर्णीत	

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹1800/– बैक ड्राफ्ट सं0–402685 दिनाँक 22–1–14 द्वारा जमा की, के सत्यापन उपरान्त पैरा निर्णीत)
2	पैरा–4 (क)	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति पुनः प्रारूपित)
3	पैरा–4 (ख)	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति पुनः प्रारूपित)
4	पैरा–5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन से पुनः प्रारूपित)
5	पैरा–6	निर्णीत	(दिनाँक 22–2–14 को माननीय मुख्यमन्त्री जी की अध्यक्षता में हुई समिति की बैंठक की मद सं0–1 में दिनाँक 5–7–05 से 31–1–14 के दौरान सैनिक कल्याण निधि से किये भुगतानों की कार्योत्तर स्वीकृति दे दी गई, जिससे अवलोकन उपरान्त पैरा निर्णीत किया)
6	पैरा–7	अनिर्णीत	